

OK

सं 9-08/2015 आरटीआई (6)

आरटीआई मामला

AOK (ERU)

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग (आरटीआई अनुभाग)
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.

दिनांक: 6 108.2015.

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/सुश्री नरेश कुमार शर्मा के दिनांक 22-07-2015 के आवेदन (इस कार्यालय को दिनांक 03-08-2015 का प्राप्त) को अंग्रेषित करना।

अधिकांश सूचनाएं सूचना आवेदक को सूचना एवं आदेशों के अंतर्गत ही प्रदान की जाएगी। यदि सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य सीपीआईओ/लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो आरटीआई आवेदन को संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए भेज दिया जाए।

यह अनुरोध है कि मांगी गई सूचना आवेदक को सीधे ही प्रदान की जाए। यदि मांगी गई सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य सीपीआईओ/लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो आरटीआई आवेदन को संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए भेज दिया जाए।

श्री राजीव कुमार (संयोजक) एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई)
दूरभाष: 23036225

संलग्नक: यथापार।
सेवा में,

1. श्री एम. एस. शर्मा, निदेशक (ईआरयू) एवं सीपीआईओ दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.
2. श्री राजीव काण्डपाल, निदेशक (एसईए) एवं सीपीआईओ दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.
3. श्री चारीवाल, निदेशक (एम) एवं सीपीआईओ दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. श्री राजीव शर्मा, निदेशक (विभा) एवं सीपीआईओ दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001.

127-ERU
1/8/15

3/c

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रिय जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय : संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार,
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली 110003

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम 2005, धारा 6 के अन्तर्गत सूचना हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक है और कृपया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कुछ आवश्यक निम्नलिखित सूचना बिन्दुवार दे -

1. आपके विभाग में मंजूर सन् 2014-16 में आवंटित राशि, योजना क्या हैं, विवरण दे ?
2. आपके विभाग की वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट दे। *Annual Report 2014-15*
3. आपके विभाग की योजना संचालन की क्या प्रक्रिया, आदेश-निर्देश है, प्रतिलिपि दे। *2014-15*
4. आपके कार्यालय से सत्र 2014-16 में बरेली जिले तथा उत्तर प्रदेश में अनुदान प्राप्त संस्था का नाम, पता, प्रबन्धक का नाम, कार्य स्थल, लाभार्थी की सूची सहित दे ?
5. आपके विभाग से सम्बन्धित उOप्रO में कितने कार्यालय है। उनके नाम, पता, सम्पर्क नं. दें।
6. आपके कार्यालय से सम्बन्धित तैनात अधिकारी व कर्मचारी के नाम, पद, कर्तव्य/कार्य, वेतन, नियुक्ति की तिथि व वर्तमान कार्यालय में तैनाती तिथि की सूची दे।
7. आपके यहाँ दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। किससे मिलू।

उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना सत्यापित प्रतिलिपि के साथ 30 दिनों हिन्दी भाषा में दे।
धन्यवाद।

नोट : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे भारतीय नागरिकों को सूचना निःशुल्क देने का प्रावधान है। अतः बी0पी0एल0 राशनकार्ड संलग्नक है। कृपया सूचना निःशुल्क दी जाए।

दिनांक.22-07-2015

[Signature]

नथु लाल सागर

पता - एफ-202, ब्लाक आर.सी./67,
प्रथम तल, रामगंगा कालौनी, डोरहा रोड,
पीलीभीत ब्याईपास, बरेली 243006

190-10/2015-कार्यालय
03-08-2015

US
on (RST) *in. Mahato* *(R7)*

मूल्य : रु0 : 01.00 कार्ड सं0

41C

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन
करने वाले परिवार हेतु

बी.पी.एल

राशन कार्ड

अहस्तान्तरणीय



जनपद : बरेली

खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

6/c

संख्या 18-31/2015-ई आर यू(आरटीआई-20)
भारत सरकार, दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोका रोड, नई दिल्ली-1
ई आर यू अनुभाग

दिनांक: // .08.2015

सेवा में,

श्री नत्थु लाल सागर
एफ - 202, ब्लाक आर.सी./67,
प्रथम तल, रामगंगा कालोनी, डोरहा रोड,
पीलीभीत बाईपास,
बरेली - 243006

विषय: आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2015 जो इस अनुभाग को दिनांक 06.08.2015 को प्राप्त हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ।

सर,

आपका आवेदन पत्र जो इस अनुभाग के सी.पी.आई.ओ. को उप सचिव(समन्वय) एव नोडल अधिकारी (आर टी आई), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली के द्वारा 06.08.2015 को प्राप्त हुआ है जिसमे इस अनुभाग से संबंधित सूचना देनी है ।

प्र०स० 2 जो इस अनुभाग से संबंधित है। जिसमे इस दूरसंचार विभाग की वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट माँगी गयी है । वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पत्र के साथ भेजी जा रही है ।

प्र०स० 1 और 3-7 तक के संबंधित सी. पी. आई. ओ. आपको सीधा पत्र व्यवहार करेंगे ।

Nep
12/08/15

Israr
11/08/15

सं

यदि कोई अपील है तो उसे इस पत्र के मिलने के बाद 30 दिन के अंदर सलाहकार(आर्थिक), दूरसंचार विभाग, कमरा न० 501, 20, अशोका रोड, नई दिल्ली-01 को भेजी जा सकती है ।

सलंगन : यथोपरि ।

एम.एस. रवि

एम एस रवि

निदेशक(ई आर यू)

फोन: 23036907/23372544

प्रतिलिपि :

1। श्री रंजन कुमार, उप सचिव(समन्वय) एव नोडल अधिकारी (आर टी आई), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली ।